भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2901
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: हरियाणा में गन्ने की खेती
2901. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान हरियाणा में गन्ना खेती के तहत कुल क्षेत्र का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;
(ख) हरियाणा में गन्ने की कीमतों को निर्धारित करने और संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का गन्ना किसानों को उनकी आपूर्ति के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु चीनी मिलों पर कोई बाध्यकारी तंत्र लागू करने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार ने हरियाणा के गन्ना किसानों की कुल बकाया राशि का कोई लेखा परीक्षण या मूल्यांकन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो एक निश्चित समय अवधि के भीतर ऐसे बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान, हरियाणा में गन्ने की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का वर्षवार विवरण नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध कराया गया है:

हरियाणा गन्ना क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर)

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
107.70	107.75	88.22	71.64	93.78

* वर्ष 2025-26 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार हैं।

(ख) : सरकार प्रत्येक चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) घोषित करती है, जो मानक मूल्य होता है, इसके कम मूल्य पर कोई भी चीनी मिल किसानों से गन्ना की खरीद नहीं कर सकती। यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स से परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2021-22 और उसके बाद के प्रत्येक चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों/कारखानों द्वारा देय गन्ने का एफआरपी नीचे सारणीबद्ध है:

चीनी सीजन	एफआरपी (रुपये प्रति क्विंटल)	एसएपी (रुपये प्रति क्विंटल)	बेसिक रिकवरी लेवल
2021-22	290.00	शीघ्र पकने वाली किस्म: 362.00 देर से पकने वाली किस्म: 355.00	10.00%
2022-23	305.00	शीघ्र पकने वाली किस्म: 372.00 देर से पकने वाली किस्म: 365.00	10.25%
2023-24	315.00	शीघ्र पकने वाली किस्म: 386.00 देर से पकने वाली किस्म: 379.00	10.25%
2024-25	340.00	शीघ्र पकने वाली किस्म: 400.00 देर से पकने वाली किस्म: 393.00	10.25%
2025-26	355.00	शीघ्र पकने वाली किस्म: 415.00 देर से पकने वाली किस्म: 408.00	10.25%

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान हरियाणा राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य-अनुशंसित मूल्य (एसएपी), एफआरपी से अधिक है।

इसके अलावा, हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य (एसएपी) एफआरपी से अधिक है।

(ग) : गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार, चीनी मिलों को किसानों द्वारा संबंधित चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति किए जाने में 14 दिनों के भीतर गन्ने की कीमत किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। गन्ना नियंत्रण (आदेश), 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सौंपी गई हैं।

(घ) एवं (ङ) : हरियाणा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालू चीनी सीजन 2025-26 (अक्टूबर–सितंबर) के दौरान गन्ना किसानों को लगभग 1,491 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना है। इस राशि में से चीनी मिलों द्वारा लगभग 1,027 करोड़ रूपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे दिनांक 18.02.2026 तक कुल गन्ना बकाया का लगभग 69% भुगतान हो चुका है। पिछले चीनी सीजनों से कोई भी गन्ना भुगतान लंबित नहीं है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार, चीनी मिलों को किसानों द्वारा संबंधित चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति किए जाने में 14 दिनों के भीतर गन्ने की कीमत किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है।

*****